FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0152 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/06/2026 13:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/06/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:05 बजे **Time To (समय तक):** 12:07 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/06/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/06/2026 13:55:08 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** PATWAR GHAR CHAHUWALI, TEHASIL TIBBI JILA HANUMANGARH
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** OMPRAKASH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAHUWALI, TIBBI, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAHUWALI, TIBBI, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHRIRAM		पिता:DULICHAND	1. WARD NO.02,DABLI KALAN,TIBBI,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पूलिस अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो, हनुमानगढ़ विषय -रिश्वत मांग करने वाले पटवारी को रंगे हाथो रिस्वत लेते हुए पकड़वाने कि कार्यवाही करवाने हेतु महोदय नीवेदन है कि में सुनिल कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश जाती जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हु हमारी खातेदारी जमीन कृषि चाहुवाली में पड़ती है जिसके अन्तकाल हेतु मेरे पिता श्री ओमप्रकाश बनाम मोहनी देवी मुकदमा नं. 339/2025 कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी टिब्बी मे लगाया गया था जिसका नियर्ण व डिग्री 19-9-2025 की पारित कि गई थी अन्तकाल हेतु तहसीलदार टिबबी व वहां से उपतहसिल (भु.अ.) तलवाड़ा अग्रीम कार्यवाई हेतु पटवारी हल्का चाहुवाली को लिखा गया था उप तहसिलदार तलवाड़ा दिनांक 11-5-2026 को नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र जारी किया गया जिसे लेकर मे अगामी कार्यवाई हेतु पटवारी श्रीराम को पचायत घर चाहुवाली में मिला अन्तकाल हेतु कहा तो उन्होने 30000 हजार रू. रिश्वत मांगी अतः में प्रार्थी उक्त पटवारी श्रिराम को रिश्वत की राशी देते हुए रगे हाथ पकड़वाना चाहता हु कार्यवाही करने कि कृपा करे दिना 1-6-2026 प्राथी -एसडी-सुनिल कुमार पुत्र औमप्रकाश जाट निवासी चाहुवाली तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ़

कार्यवाही पुलिस दिनांक 01.06.2026 को वक्त 12.05 पीएम प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाट, उम्र-32 वर्ष निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित आया। परिवादी श्री सुनील कुमार ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया किया। परिवादी सुनील कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी सुनील कुमार ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिखित में होना बताया व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि हमारी खातेदारी जमीन कृषि भूमि चाहुवाली में पड़ती है जिसके ईन्तकाल हेतु मेरे पिता जी ओमप्रकाश ने कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी टिब्बी में मुकदमा नं. 339/2025 ओमप्रकाश बनाम मोहनी देवी लगाया था जिसका निर्णय व डिग्री 19.09.2025 को पारित कि गई थी, ईन्तकाल हेतु तहसीलदार टिब्बी व वहां से उप तहसीलदार (भू.अ.) तलवाड़ा में व वहां से अग्रिम कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का चाहुवाली को लिखा गया था। उप तहसीलदार तलवाड़ा में दिनांक 11.05.2026 को नामान्तरण हेतु मेरे द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र दिया गया जिनके द्वारा हल्का पटवारी चाहुवाली को लिखा। मेरे द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी चाहुवाली श्रीराम को पंचायत घर चाहुवाली में मिला और उक्त ईन्तकाल हेतु कहा तो उन्होने 30000/-रूपये रिश्वत मांगी मै प्रार्थी उक्त पटवारी श्रीराम को रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, मेरा श्रीराम पटवारी से कोई वाद विवाद नही है और न ही कोई लेन देन का हिसाब है। मेरे पिताजी अस्वस्थ रहते है तथा उनकी उम्र अधिक होने के कारण उनका कामकाज मैं ही देखता हूं, उनके द्वारा मुझे अधिकार पत्र भी दिया गया है, अतः नम्र निवेदन है आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री सुनील कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व परिवादी से पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व आधार कार्ड की प्रति, आनलाईन नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र की प्रति व अधिकार पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री सुनील कुमार से ब्युरो के श्री विजय प्रसाद कानि. 123 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री सुनील कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत की गई। परिवादी श्री सुनील कुमार व श्री विजय प्रसाद कानि. 123 को वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु चाहुवाली की तरफ रवाना किया गया। समय 04.40 पीएम पर श्री विजय प्रसाद कानि. 123 गोपनीय सत्यापन में गया हुआ वापिस आया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बंद हालत में सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं व परिवादी श्री सुनील कुमार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गांव चाहुवाली में पंचायत घर के पास पहुंचें, जहां पर परिवादी सुनील कुमार को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर पंचायत घर में पटवारी के कार्यालय की तरफ रवाना किया, मै गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया था, कुछ समय बाद परिवादी सुनील कुमार पंचायत घर से वापिस आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे बंद किया परिवादी ने अवगत करवाया कि पटवारी श्रीराम अपने

कार्यालय में उपस्थित नहीं है और आज वो कार्यालय में नहीं आये है और आने की संभावना भी नहीं है, वो कल सुबह ही आयेंगें, अब मुझे जरूरी काम है आप कल मुझे यहां मिल जाना मैं रिश्वत मांग का कल पटवारी से सत्यापन करवा दूंगा इस पर परिवादी सुनील कुमार को निर्देशानुसार वहीं छोड़ते हुए वहां से रवाना होकर ब्यूरो कर्यालय में उपस्थित आया हूं। इस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा, श्री विजय प्रसाद कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 02.06.2026 समय 09.45 एएम पर श्री विजय प्रसाद कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर चाहूवाली के लिए जरिये सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना किया। समय 01.35 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री विजय प्रसाद कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गांव चाहुवाली में पंचायत घर के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री सुनील कुमार उपस्थित मिला, परिवादी श्री सुनील कुमार को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर चालू कर पटवारी श्रीराम के कार्यालय पंचायत घर की तरफ रवाना किया, मैं गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया, परिवादी श्री सुनील कुमार कुछ समय बाद वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, परिवादी सुनील कुमार ने बताया की पंचायत घर में अपने कार्यालय में श्रीराम पटवारी मुझे मिले जिनसे मैने मेरे कार्य के संबंध में बात की तो उन्होने कहा की इंतकाल के पांच सौ रूपये प्रति बीघा के हिसाब से लेते है तो मैं बोला 60 बीघा का तीस हजार रूपये हो गये जो बहुत ज्यादा है तो उन्होने मुझे कम ज्यादा करके 17000/-रूपये के लिए बोला है मैने उन्हे 15000/- रूपये ही देने के लिए कहा है, जिस पर उन्होने सहमति दी है और मैने एक दो दिन में रिश्वत राशि देने के लिए कहा फिर पटवारी श्रीराम ने कहा की मै तो एक चक का ही कर सकता हूं तुम्हारे दूसरे चक का ईंतकाल दूसरा पटवारी करेगा उसका हिसाब किताब पूछना पड़ेगा, फिर मैं बाहर आ गया। परिवादी श्री सुनील कुमार ने कहा की अभी मुझे जरूरी काम है मै आपके साथ नहीं आ सकता इस पर निर्देशानुसार उसे वहीं पर छोड़ते हुए, मैं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी सुनील कुमार के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अलमारी में रखा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 03.05 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया की कल दिनांक 01.06.2026 को मैं व विजय प्रसाद कानि. कार्यालय से रवाना होकर गांव चाहुवाली में पंचायत घर के पास पहुंचे जहां पर श्री विजय प्रसाद कानि. ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया मैं पंचायत घर में पटवारी के कार्यालय की तरफ गया, श्री विजय प्रसाद बाहर ही रूक गये थे, मैने पंचायत घर में स्थित श्रीराम पटवारी के कार्यालय की तरफ गया तो उनका कार्यालय बंद था जिस पर श्रीराम पटवारी के बारे में पता किया तो उनके कार्यालय में नहीं आने का पता चला व जिस पर मैने बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए उक्त बात बतायी, फिर मैने कहा कि पटवारी श्रीराम के आने की संभावना भी नहीं है, वो कल सुबह ही आयेंगें, अब मुझे जरूरी काम है आप कल मुझे यहां मिल जाना मैं रिश्वत मांग का कल पटवारी से सत्यापन करवा दूंगा इस पर विजय जी मुझे वहीं छोड़ते हुए चले गये थे आज सुबह करीब 10.55 बजे श्री विजय प्रसाद जी मुझे गांव में पंचायत घर के पास मिल गये थे जहां पर श्री विजय प्रसाद कानि. ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया मैं पंचायत घर में पटवारी के कार्यालय की तरफ गया, श्री विजय प्रसाद बाहर ही रूक गये थे, मैने पंचायत घर में स्थित श्रीराम पटवारी के कार्यालय की तरफ गया तो पटवारी श्रीराम अपने कार्यालय कक्ष में बैठे मिले जिनसे मैने मेरे कार्य के संबंध में बात की तो उन्होने कहा की इंतकाल के पांच सौ रूपये प्रति बीघा के हिसाब से लेते है तो मैं बोला 60 बीघा का तीस हजार रूपये हो गये जो बहुत ज्यादा है तो उन्होने मुझे कम ज्यादा करके 17000/-रूपये के लिए बोला है मैने उन्हे 15000/- रूपये ही देने के लिए कहा है, जिस पर उन्होने सहमति दी है और मैने एक दो दिन में रिश्वत राशि देने के लिए कहा फिर पटवारी श्रीराम ने कहा की मै तो एक चक का ही कर सकता हूं तुम्हारे दूसरे चक का ईंतकाल दूसरा पटवारी करेगा उसका हिसाब किताब पूछना पड़ेगा, फिर मैं बाहर आ गया। मैने बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री विजय प्रसाद कानि. को सुपुर्द किया जिन्होने बंद किया व उक्त बात बतायी। फिर मैने विजय प्रसाद को कहा की अभी मुझे जरूरी काम है मै आपके साथ नहीं आ सकता इस पर वो वहां से रवाना होकर चले गये थे। मैं अभी अपना जरूरी कार्य करके उपस्थित आया हूं। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 03.15 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास आज दिनांक 02.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 07.00 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दो फाईल है, जिसमें दिनांक 02.06.2026 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260602_1058 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 08 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विजय प्रसाद कानि. 123 से दो अलग-अलग 08 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-

20243962314bb106677855a52d4c6da2dee746cb है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 02.06.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियों फाईल है जिसमें एक ऑडियो फाईल 260602_1058 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- 20243962314bb106677855a52d4c6da2dee746cb है। मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर GreenTech 8 Micro SD HC I अंकित है उसे सफेद कागज में लपेटकर माचिस की खाली की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.10 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ने अवगत करवाया कि मैने पटवारी श्रीराम को एक-दो दिन में रिश्वत राशि देने के लिए कहा है मैं कल रिश्वत राशि की व्यवस्था कर परसो सुबह आपके कार्यालय में उपस्थित हो जांउगा और पटवारी श्रीराम को परसो रिश्वत राशि दूंगा। इस पर परिवादी सुनील कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 07.15 पीएम पर हसरांज मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी को रिश्वत मांग के सील्ड मैमोरीकार्ड व पैनड्राईव व खुले पैनड्राईव को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिये जाकर संभलाये गये। दिनांक 03.06.2026 समय 04.00 पीएम पर परिवादी ने रिश्वत राशि दिनांक 04.06.2026 को देने का कहा है, कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने के कारण जरिये तहरीर देकर श्री खियांराम सउनि. को कार्यालय उपवन सरंक्षक हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया गया। समय 04.40 पीएम पर कार्यालय उपवन सरक्षंक हनुमानगढ़ से श्री खियांराम सउनि मय श्री विजय कुमार सहायक प्रोग्रामर व श्री मांगीलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के साथ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये श्री विजय कुमार सहायक प्रोग्रामर व श्री मांगीलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपवन सरक्षंक हनुमानगढ़ को दिनांक 04.06.2026 को सुबह 08.00 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर वापिस भिजवाया। दिनांक 04.06.2026 समय 08.00 एएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000/-रूपये कि व्यवस्था कर साथ लाया हूं, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 08.15 एएम पर पाबन्दशुदा श्री विजय कुमार सहायक प्रोग्रामर व श्री मांगीलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपवन सरक्षंक हनुमानगढ़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री विजय कुमार सहायक प्रोग्रामर व श्री मांगीलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री सुनील कुमार से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री सुनील कुमार के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से व सत्यापन के संबंध में अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया।परिवादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाट, उम्र-32 वर्ष निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ने आरोपित को रिश्वत दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट व दो-दो सौ रूपये के 25 नोट कुल 15,000/- रूपये मुझ अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है - क्र.स. नोटों का विवरण नम्बर 1 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DU 914279 2 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3LQ 079861 3 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5FF 336738 4 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2LW 130539 5 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 0KU 282077 6 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 1LR 241924 7 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4KM 590203 8 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7SQ 508312 9 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2NN 832142 10 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AQ 305814 11 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3AB 186307 12 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7KE 069391 13 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5QB 425463 14 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KA 353976 15 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KA 353977 16 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3SA 538345 17 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AB 267912 18 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FD 106298 19 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5ST 951344 20 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2PQ 712506 21 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 5AT 616463 22 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 4GC 722905 23 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 8AS 757852 24 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 4BF 425759 25 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 2RA 068324 26 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 1GD 464363 27 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 6AV 571321 28 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 8PW 353895 29 एक नोट भारतीय

मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 0PN 620751 30 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 1QA 529504 31 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 7QG 854137 32 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 5KE 991489 33 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 6HQ 446061 34 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 0PP 038854 35 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 7CS 807873 36 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 2NF 157938 37 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 5PD 696973 38 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 3NH 818968 39 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 5NC 060813 40 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 1AH 033896 41 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 3AH 823937 42 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 3AH 473357 43 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 2SK 983656 44 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 0AW 833240 45 एक नोट भारतीय मुद्रा का दो सौ रूपये का नम्बरी 5BA 392735 रूबरू गवाहन श्री खिंयाराम सउनि. से मालखाना से फिनॉलफथलीन पाउडर मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह श्री विजय कुमार सहायक प्रोग्रामर से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 15,000/- रू. को श्री खियांराम सउनि. से ही परिवादी के पहने कुर्ते की बांयी साईड की जेब में सावधनी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो परिवादी अपने मोबाईल से मन अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल न. पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री खियांराम सउनि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री सुनील कुमार को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई की वह आरोपी से मिलने से पहले डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को भली भान्ति चालू कर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.15 एएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री सुनील कुमार, स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार, श्री मांगीलाल, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री हसंराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल कानि., श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म. कानि., श्री सजंय कुमार कानि., श्री ईश्वर सिह कानि. श्री धर्मवीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहायक,श्री अमन कुमार क.सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री सुनील कुमार, स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार, श्री मांगीलाल, ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री हसंराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल कानि., श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री सजंय कुमार कानि., श्री ईश्वर सिह कानि. श्री धर्मवीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहायक,श्री अमन कुमार क.सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री हमराह लेकर निजी वाहनों व मोटरसाईकिलों से चाहुवाली की तरफ रवाना हुए। श्री खियांराम सउनि. को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 11.35 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर के पास पहुंची, परिवादी श्री सुनील कुमार को आरोपी से संपर्क करने हेतु पटवार घर की तरफ रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 12.07 पर परिवादी सुनील कुमार द्वारा जरिये दूरभाष व निर्धारित ईशारा करने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर ग्राम पंचायत परिसर में पहुंची जहां पर परिसर के बराबर से सीढियों प्रथम तल पर जा रही है जहां पर सीढियों पर खड़ा परिवादी मिला जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया परिवादी ने बताया की श्रीराम राजस्व पटवारी ने मेरे से रूपये ले लिये है और अपने पास रख लिये है जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय परिवादी सुनील कुमार व हमराहीयान को साथ लेकर ग्राम पंचायत परिसर में सीढीयों से प्रथम तल में बनी

बिल्डिंग में प्रवेश किया तो दांयी साईड में बने पहले कमरे में प्रवेश किया तो सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मिला जिसकी तरफ परिवादी सुनील कुमार ने ईशारा कर बताया की यही श्रीराम पटवारी है जिन्होने मेरे से ईन्तकाल दर्ज करने की एवज में 15000/-रूपये रिश्वत के लेकर अपने पास रख लिये है। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने सामने बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीराम पुत्र श्री दुलीचंद जाति-मेघवाल, उम्र-29 वर्ष निवासी वार्ड नं0 02 डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्डल चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ बताया। आरोपी श्रीराम पटवारी के दोनो हाथों को ब्यूरो स्टाफ से कलाईयों से पकड़वाया गया। फिर परिवादी सुनील कुमार से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछने पर बताया की मै सुनील कुमार को पहचानता हूं लेकिन इसका कोई काम मेरे पास पेण्डिग नहीं है, फिर श्रीराम राजस्व पटवारी की मेज पर कुछ दस्तावेज पड़े है जिन्हे रूबरू गवाहन चैक किया तो उसमें परिवादी सुनील कुमार से संबंधित मूल आवेदन पत्र व कार्यालय उपतहसीलदार (भू.अ.) तलवाड़ा (टिब्बी) का आदेश क्रंमाक 801-802 दिनांक 11.05.2026 व उसके सलंग्न कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी हनुमानगढ़ का पत्र क्रंमाक 982 दिनांक 25.09.2025 व पर्चा डिक्री की प्रमाणित प्रति व चक 9 एजी की जमाबंदी की प्रतिलिपि व चक 8 एजी की जमाबंदी की प्रतिलिपी मिली, जिसे कब्जा एसीबी लिया गया। फिर परिवादी श्री सुनील कुमार ने बताया की पटवारी जी के पास मेरे पिता के नाम से ईंतकाल दर्ज करने संबंधी कार्य पेण्डिग है और इन्होने मेरे से 15000/-रूपये हाथ में लेकर अपनी मेज की दांयी सांईड की दराज में रखे है, जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने गवाह श्री मांगीलाल को निर्देशित कर मेज की दांयी साईड की उपर की दराज को खुलवाकर चैक करवाया तो उसमें एक नोटों की थैई दिखी जिसके संबंध में परिवादी ने बताया की यह वही 15000/- रूपये है जो मैने पटवारी जी को रिश्वत स्वरूप दिये थे, जो पटवारी ने इसमें रखें। फिर पटवारी से इन रूपयों के संबंध में पूछा गया तो पटवारी श्रीराम बोला की मुझे नहीं पता यह कहां से आये है और कहा की सुनील कुमार यहीं बैठा था इसने रख दिये होगें। इस पर परिवादी ने स्वत ही बताया की हमारी खातेदारी जमीन कृषि भूमि चाहुवाली में पड़ती है जिसके ईन्तकाल हेतु मेरे पिता जी ओमप्रकाश ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी वाद लगाया था। जिसका निर्णय व डिग्री 19.09.2025 को पारित कि गई थी, ईन्तकाल हेतु तहसीलदार टिब्बी व वहां से उप तहसीलदार (भू.अ.) तलवाड़ा में व वहां से अग्रिम कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का चाहुवाली को लिखा गया था। उप तहसीलदार तलवाड़ा में दिनांक 11.05.2026 को नामान्तरण हेतु मेरे द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र दिया गया जिनके द्वारा हल्का पटवारी चाहुवाली को लिखा। मेरे द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी चाहुवाली श्रीराम को पंचायत घर चाहुवाली में मिला और उक्त ईन्तकाल हेतु कहा तो उन्होने 30000/-रूपये रिश्वत मांगी थी जिसकी शिकायत मेरे द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 01.06.2026 को की गई थी जिस पर दिनांक 02.06.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो श्रीराम पटवारी द्वारा मेरे प्रति बीघा पांच सौ रूपये मांगे फिर उन्होने मेरे से 15000/-रूपये लेने तय किये थे वही 15000/-रूपये मेरे से अभी थोड़ी देर पहले हाथ में लेकर मेज की दराज में रखे थे। रिश्वत राशि का आदान प्रदान होने के कारण दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्रीराम पटवारी के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R1 R2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्रीराम पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L1 L2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी से हाथों की धोवन का गुलाबी रंग प्राप्त होने के संबंध में पूछा तो कुछ नहीं बोला। फिर गवाहन को निर्देश देकर मेज की दांयी साईड की उपर की दराज को खुलवाकर उसमें रखी नोटों की थैई को गवाह श्री मांगीलाल से उठावाया जो प्लॉस्टिक फोल्डर के उपर रखी हुई थी। उक्त राशि को गिनवाया तो गवाह श्री मांगीलाल ने 15000/-रूपये होना बताया। फिर गवाह श्री विजय कुमार को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटो के नंबरो का मिलान करवाया तो प्राप्त नोट हुबहू पाये गये जिनके नोटों का फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि मेज की दांयी साईड की उपर की दराज में से रखे प्लॉस्टिक फोल्डर के उपर से बरामद हुई है जिस कारण प्लॉस्टिक फोल्डर का धोवन लिया जाना आवश्यक होने के कारण उस प्लॉस्टिक फोल्डर को मेज की दराज से बाहर निकाला, जिस पर मार्कर से 10 AG लिखा है। फिर एक साफ नई डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर उक्त घोल में कपड़े की एक छोटी चिंदी को डूबोकर गिला कर प्लॉस्टिक के फोल्डर के उपर रगड़ कर उसे पुनः घोल में डूबोया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का F-1, F-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। प्लास्टिक के फोल्डर को खोलकर चैक किया तो उसमें नामान्तरण संबंधी

मूल दस्जावेज अन्य काश्तकारों के श्रीराम पटवारी ने होना बताया, उक्त मूल दस्तावेजों को प्लॉस्टिक के फोल्डर से बाहर निकाला गया और प्लॉस्टिक के खाली फोल्डर जिसके उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई को एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। जिस कपड़े की चिंदी से धोवन लिया गया था उसे सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने कार्यवाही परिवादी सुनील कुमार से संबंधित मूल आवेदन पत्र व कार्यालय उपतहसीलदार (भू.अ.) तलवाड़ा (टिब्बी) का आदेश क्रंमाक 801-802 दिनांक 11.05.2026 व उसके सलंग्न कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी (राजस्व) टिब्बी हनुमानगढ़ का पत्र क्रंमाक 982 दिनांक 25.09.2025 व पर्चा डिक्री की प्रमाणित प्रति व चक 9 एजी की जमाबंदी की प्रतिलिपि व चक 8 एजी की जमाबंदी की प्रतिलिपी मिली थी जिसके संबंध में आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी से पूछने पर बताया की सुनील कुमार ने आनलाईन आवेदन करके 10-15 दिन पहले दस्तावेज मुझे दिये थे, फिर मेरे द्वारा दो-तीन पहले इनका नामान्तरण दर्ज कर दिया था । मेरे पास सुनील कुमार से संबंधित दो चको का कार्य था 8 एजी व 9 एजी का जो मेरे द्वारा कर दिया गया था। आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी से उक्त कार्य की कोई फीस वगैरा के सबंध में पूछा गया तो आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी ने बताया की नामान्तरण से संबधी फिस अगले वित्तिय वर्ष में वसूल की जाती है इनकी कोई एन्ट्री पी-35 में नहीं होती है। सुनील कुमार की कोई फीस पेण्डिग नही थी। आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी से नामान्तरण के आनलाईन करने के संबंध में पूछा व उसकी प्रति चाही तो उसने कहा की ये मेरी आईडी पे नहीं है इसलिए मैं आपको प्रति उपलब्ध नहीं करवा सकता मैने दो तीन दिन पहले आनलाईन कर दिया था। आरोपी से परिवादी से ली गई रिश्वत के संबंध में पूछने पर बताया की यह दो तीन पहले मिला था जिससे खर्चापानी के संबंध में वार्ता हुई थी मेरे द्वारा इन पर कोई दबाव नहीं डाला था इन्होने अपनी मर्जी से ही दिये है। उक्त दस्जावेजों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। इस कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलवाई तैयार कर फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 02.00 पीएम पर नमूना सील तैयार की गई। घटनास्थल रिष्वत आदान प्रदान व घटनास्थल रिश्वत राशि बरामदगी स्थान का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद किया गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी को जरिये फर्द हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। दौराने कार्यवाही श्री रविन सहारण राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ तलविदा उपस्थित आये जिनको पटवार घर मे काश्तकारों से संबंधित मूल दस्तावेज व पटवार घर को दुरूस्त हालत में संभलाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। समय 03.15 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री श्रीराम राजस्व पटवारी, मय हमराही ब्यूरो स्टाफ मय कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत, ट्रेप बाक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य ट्रेपसामग्री को साथ पटवार घर से नीचे स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंची। समय 03.20 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 04.06.2026 को हुई वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 05.30 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में एक फाईल है, जिसमें दिनांक 04.06.2026 की वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260604_1139 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 08 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विजय प्रसाद कानि. 123 से दो अलग-अलग 08 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1, बी-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- 0102d5b6d713a48669df00a059ddc7021916be89 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क बी-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क बी-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 04.06.2026 को वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियों फाईल है जिसमें एक ऑडियो फाईल 260604_1139 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-0102d5b6d713a48669df00a059ddc7021916be89 है। मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर GreenTech 8 Micro SD HC I अंकित है उसे सफेद कागज में लपेटकर माचिस की खाली की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 05.40 पीएम पर घटनास्थल पटवार घर चाहूवाली में ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सरकारी मोबाईल फोन से गुरप्रीत कौर म0कानि0 द्वारा आरोपी की हाथ धुलाई व रिश्वत राशि बरामदगी तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी की गई। बरूबरू गवाहान के समक्ष उक्त मोबाईल फोन में से मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त कार्यवाही की सम्पुर्ण विडियोग्राफी की 3 फाईल है उक्त मैमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल से निकाला गया, उक्त मैमोरी कार्ड GreenTech 32 Micro SD HC I है। उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के सरकारी लेपटाप में डाला गया जिसमें 3 फाईल है इसकी दो पैन ड्राईव जिन पर Green Tech 8GB अंकित है में श्री विजय प्रसाद कानि. से प्रतिलिपी करवायी गई। उक्त मूल मैमोरी

कार्ड में विडियोग्राफी की 3 फाईल की हैश वैल्यू निकाली गई, मूल मैमोरी कार्ड को लेपटॉप से निकालकर एक सफेद कागज में लपेट कर खाली माचिस की डिब्बी में रख कर माचिस की डिब्बी को कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया व एक पैन ड्राईव को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर कपड़े की थैली में डालकर सील्ड किया गया व एक पैन ड्राईव खुला रखा गया। फर्द मुर्तिब किया गया। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। समय 06.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, मन् अति. पुलिस अधीक्षक, मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त श्रीराम राजस्व पटवारी, दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री विजय कुमार व श्री मांगीलाल ब्यूरो स्टाफ श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल कानि., श्री विजय प्रसाद कानि., श्री रामजस कानि., श्री वरूण कुमार कानि., श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री संजय कुमार कानि., श्री ईश्वर सिह, श्री धर्मवीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा.,कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत शील्डशुदा छः शिशीयां , शील्डशुदा रिश्वत राशि पन्द्रह हजार रूपये, सील्डशुदा चींदी की कपड़े थैली, सील्डशुदा प्लॉस्टीक के फोल्डर की थैली, सील्डशुदा दो मैमोरी कार्ड की थैली जिसमें रिश्वत लेन देन व कार्यवाही की विडियो ग्राफी के मैमोरी कार्ड है व व उक्त से संबंधित सील्डशुदा दो पैन ड्राईव की थैली व दो खुले पैन ड्राईव ट्रेप बाक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य ट्रेपसामग्री को साथ लेकर पंचायत घर से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुए। परिवादी श्री सुनील कुमार को मौके से आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 07.45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा की रवानाशुदा मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन पहुंची, श्रीमान् एम.ओ. साहब को गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री श्रीराम राजस्व पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु तहरीर देकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई व मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के राजकीय चिकित्सालय से रवाना हुई। समय 08.32 पीएम पर उपरोक्त फिकरा की रवानाशुदा मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन पहुंची, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री श्रीराम राजस्व पटवारी को रात्रि सुरक्षार्थ हवालात में रखने हेतु जरिये तहरीर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन में छोड़ा गया। समय 08.50 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री विजय कुमार व श्री मांगीलाल ब्यूरो स्टाफ श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल कानि., श्री विजय प्रसाद कानि., श्री रामजस कानि., श्री वरूण कुमार कानि., श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री संजय कुमार कानि., श्री ईश्वर सिह, श्री धर्मवीर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा.,कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत शील्डशुदा छः शिशीयां , शील्डशुदा रिश्वत राशि पन्द्रह हजार रूपये, सील्डशुदा चींदी की कपड़े थैली, सील्डशुदा प्लॉस्टीक के फोल्डर की थैली, सील्डशुदा दो मैमोरी कार्ड की थैली जिसमें रिश्वत लेन देन व कार्यवाही की विडियो ग्राफी के मैमोरी कार्ड है व उक्त से संबंधित सील्डशुदा दो पैन ड्राईव की थैली व दो खुले पैन ड्राईव ट्रेप बाक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य ट्रेपसामग्री को साथ लेकर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची, श्री हसंराज मालखाना प्रभारी को कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत का मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिये जाकर संभलाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री विजय कुमार व श्री मांगीलाल को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। आरोपी श्री श्रीराम राजस्व पटवारी का भाई भीमसेन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसे आरोपी श्री श्रीराम राजस्व पटवारी के गिरफ्तारी के आधार की सूचना के नोटिस की एक प्रति दी जाकर तामिल करवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यवाही के क्रम में एसीबी टीम श्रीगंगानगर द्वारा आरोपी के रहवासी मकान की नियमानुसार खानातलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई थी। इस प्रकार श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाट, उम्र-32 वर्ष निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2026 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 02.06.2026 को करवाये गये सत्यापन से परिवादी श्री सुनील कुमार से आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ने अपने पद का दुरूप्योग कर परिवादी के पिता के नाम ईंतकाल दर्ज करने की एवज में 15000/-रूपये रिश्वत मांग करने के तथ्य रिकॉर्ड पर आने व दिनांक 04.06.2026 को वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री श्रीराम राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवादी श्री सुनील कुमार से 15000/-रूपये लेकर अपने मेज की दांयी साईड की उपर की दराज में प्लॉस्टिक फोल्डर के उपर रखा जहां से बरामद किये गये, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन गुलाबी व रिश्वत बरामदगी स्थान प्लॉस्टिक के फोल्डर की धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी श्रीराम पुत्र श्री दुलीचंद जाति-मेघवाल, उम्र-29 वर्ष निवासी वार्ड नं0 02 डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया। अतः श्रीराम पुत्र श्री दुलीचंद जाति-मेघवाल, उम्र-29 वर्ष निवासी वार्ड नं0 02 डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपेर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (सुधा पालावत) अति.पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्रीराम पुत्र श्री दुलीचंद जाति-मेघवाल, उम्र-29 वर्ष निवासी वार्ड नं0 02 डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्ड़ल चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गंगानगर-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 134 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 931-34 दिनांक 08.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- जिला कलक्टर, हनुमानगढ 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/06/2026 15:03:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)